APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

कैलाश बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 नं. 46 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली हो। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस की जो सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का काल्याखेडी में स्थित खसरा नं0 48 रकबा 1.6100 है0 और खसरा नं0 51 रकबा 2.4600 है0 में प्रार्थी का 1/6 अविभाजित हक हिस्सा निहित चला आ रहा है। उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम रामकैलाश दर्ज चला रहा है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में कैलाश नाम दर्ज है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का काल्याखेडी में स्थित खसरा नं0 48 रकबा 1.6100 है0 और खसरा नं0 51 रकबा 2.4600 है0 में प्रार्थी का नाम रामकैलाश के स्थान पर कैलाश दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। प्रकरण में तहसील लाडपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि मुताबिक जानकारी ग्राम वासियान एवं पहचान के वैघ दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र गोपीलाल दर्ज है। प्रार्थी को जमाबंदी एवं पहचान के दस्तावेजों में अलग अलग नाम होने से कृषक संबंधी योजनाओं में लाभ लेने में समस्या का सामना करना पडता है। अतः प्रार्थी का नाम पहचान दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी में कैलाश पुत्र गोपीलाल किया जाना अपेक्षित है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि खातेदार रामकैलाश पुत्र गोपीलाल का असली एवं सही नाम कैलाश पुत्र गोपीलाल है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी रामकैलाश के स्थान पर कैलाश दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। जिस कारण से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का काल्याखेडी में स्थित खसरा नं0 48 रकबा 1.6100 है0 और खसरा नं0 51 रकबा 2.4600 है0 में खातेदार	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामकैलाश पुत्र गोपीलाल के स्थान पर कैलाश उर्फ रामकैलाश पुत्र गोपीलाल दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	